

01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 युवक गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त नाम पता आजम उर्फ नेऊर पुत्र फुरदिल निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को हे0का0 अजय सिंह व हे0कां0 मोतीलाल यादव द्वारा गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 34 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा दविश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1 – दिलीप पुत्र कान्ति प्रसाद 2 – कान्ति प्रसाद पुत्र राजाराम निवासी गण ग्राम मजगवां थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को प्रभारी चौकी हरिहरपुर उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार यादव मय हमराह हे0कां0 कमलेश यादव, का0 सोनू यादव द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता राजेश पुत्र पूर्णमासी निवासी प्रजापतिपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को उ0नि0 पवन कुमार मय हमराह हे0कां0 रामजतन प्रजापति द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 20 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 2 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत लोहरैया से इवेन्ट संख्या 02075 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर

समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस वाहन से इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलौली पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना धनघटा को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 जगदीश शरण, आरक्षी रविकान्त कुशवाहा, हो0चा0 शेख अब्दुला ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 55 वाहनो से 49500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 55 वाहनो से 49500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।